

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17-टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणीयों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए)

Recommended for
approval

दिनांक:- 25/9/12

स्थान:- Lucknow

हस्ताक्षर

नाम डॉ. क. क. सिंह
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
पदभार (संरक्षण) अधिनियम-1980,
उ०प्र०, लखनऊ
सरकारी मोहर